प्ररूप – VI

(देखिए नियम 15)

(मोटर कार की खरीद के लिए अग्रिम लेने हेतु आवेदन पत्र – प्ररूप)

1. आवेदक का नाम
(बड़े अक्षरों में)

2. पदनाम और पता

3. मोटर कार का प्रत्याशित मूल्य

4. अग्रिम की अपेक्षित राशि

5. किश्तो की संख्या, जिनमें अग्रिम की
राशि अदा की जानी वांछित है

6. क्या इस प्रयोजन के पहले कमी अग्रिम प्राप्त
किया गया था। और यदि हां,
(i) अग्रिम लेने की तिथि
(ii) अग्रिम की राशि और/ या उस पर लगा ब्याज
जो अब तक बकाया है, यदि कोई है।

7. क्या नई मोटर कार नियमित या प्रसिद्ध व्यापारी
या एजेंट से भिन्न किसी व्यक्ति के माध्यम से खरीदने
का आशय है।

8. क्या कोई बातचीत या प्रारम्भिक जांच की जा रही है
ताकि वाहन की सुपुर्दगी अग्रिम लेने की तिथि से एक
मास के भीतर की जा सके।

(क) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना
पूर्ण और सत्य है।

(ख) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उस मोटर कार
की सुपुर्दगी नहीं ली है, जिसके आधार पर अग्रिम
के लिए आवेदन–पत्र दिया है और मैं अन्तिम रूप में
मोटर कार के कय के लिये बातचीत पूरी कर लूंगा
और अग्रिम लेने की तिथि से एक मास की समाप्ति से
पूर्व मोटर कार को अपने आधिपत्य में ले लूंगा।

9. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अब तक मोटर कार के कय
के लिये कोई आवेदन नहीं किया है अथवा कोई अग्रिम प्राप्त
नहीं किया है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
पदनाम और पता

प्ररूप - VII

(देखिये नियम 15)

(सचिव, हरियाणा विधान सभा द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ________________हरियाणा विधान सभा का सदस्य है, ________________निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ___________________ रूपये वेतन/प्रतिपूर्ति भत्ते/टेलिफोन भत्ते/दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते के रूप में ले रहा है और __________________ रूपये प्रति मास (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा________________/- रूपये सत्कार भत्ते के रूप में तथा ______________/- रूपये प्रति मास कार्यालय भत्ते के रूप में)ले रहा है। यह आगे भी प्रमाणित किया जाता है कि _______________ रूपये की राशि, यदि उसे मोटर कार के अग्रिम रूप दी जाती है, उसकी सदस्यता अवधि के दौरान उसके [वेतन], भत्ते से तथा उसके बाद उसकी [पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई भत्ता] तथा अन्य परिसम्पतियों में वसूल की जा सकती है।

सदस्य ________________ रूपये (मोटर कार अग्रिम के रूप में) लेने के लिये पात्र है।

स्थानः चंडीगढ़ — सचिव,

तिथिः — हरियाणा विधान सभा।

<u>प्ररूप – VIII</u>

(देखिए नियम 16)

(निजि बन्ध–पत्र)

यह विलेख ______________ के दिवस को श्री ______________________________ सुपुत्र श्री ______________________________ तथा निवासी ____________________________________ __________ (जिसे इसमें, इसके, बाद ऋण प्राप्त कर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है इस अभिव्यक्ति में एक पक्ष के रूप में उसके वैध प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती भी शामिल है तथा दूसरे पक्ष के रूप में हरियाणा के राज्यपाल (जिन्हें इसमें, इसके बाद सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के बीच किया गया है।

चूंकि करारनामा दिनांक ________________ और/या बन्धक विलेख दिनांक _______________ की शर्तों पर अपने द्वारा उपयुक्त (ऋण प्राप्तकर्ता) निष्पादन और अनुपालन हेतु करारनामा, दिनांक _____________ और/या बन्धक विलेख दिनांक ____________ में निहित निबन्धनों तथा शर्तों पर मोटर कार की खरीद के लिये ऋणप्राप्तकर्ता को _________________________रूपये का कर्ज दिया गया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है और इसमें सम्मिलित पक्षकार इस बात के लिये सहमत है कि उक्त करारनामे के अनुसरण में और सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई ____________ रूपये की राशि के प्रतिफल से, ऋणप्राप्तकर्ता इसके द्वारा सहमत है कि वह करारनामा दिनांक ____________ और/अथवा रेहननामा दिनांक ____________ में दी गई सभी शर्तों का सम्यक रूप से, निष्ठापूर्वक और यथा–समय पर अनुपालन करेगा और यदि उक्त शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में ऋणप्राप्तकर्ता असफल रहता है और उपर्युक्त करारनामे और या रेहननामे के अधीन मूल राशि और ब्याज के कारण सरकार को देय समूची राशि अदा करने से पूर्व ऋणप्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है अथवा जो भी कारण हो तो सरकार को, ऋणप्राप्तकर्ता की सरकार के पास बन्धक सम्पति या अन्य परिसम्पत्तियों को बेच कर अथवा अन्यथा किसी ढंग से, जिसे वह उचित समझे अपनी ओर देय समूची राशि की वसूली करने का अधिकार होगा,

जिसके साक्ष्य में भारत के गणतंत्र _______ दिन _______ मास _______ वर्ष को पक्षकारों ने क्रमशः उनके सामने दी गई तिथि को इस विलेख पर हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी **ऋणप्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर**

1. ______________________

2. ______________________

स्वीकृत

हरियाणा के राज्यपाल के लिये और उसकी ओर से हस्ताक्षरित

<u>प्ररूप – IX</u>

(देखिए नियम 16)

मोटर कार के क्रय के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किया जाने वाला करारनामा

कोई करारनामा ___________________ के दिन दो हजार और ______________ को एक पक्ष के रूप में श्री _______________________________ (जिन्हें इसमें, इसके बाद "ऋणप्राप्तकर्ता" कहा गया है, इस अभिव्यक्ति में, उसके विधिक उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादकर्ता और प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती शामिल है) और दूसरे पक्ष के रूप में हरियाणा के राज्यपाल (जिन्हें इसमें, इसके बाद सरकार कहा जायेगा, इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) के बीच किया गया।

चूंकि ऋणप्राप्तकर्ता ने हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) नियम, 1979, के उपबन्धों के अधीन मोटर कार के क्रय के लिये सदस्य को मोटर कार अग्रिम देने को विनियमित करने वाले हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) नियम, 1979, के अधीन मोटर कार के क्रय के लिये __________________ रूपये (शब्दों में ____ रूपये) के कर्ज के लिये सरकार को आवेदन किया है और सरकार ऋणप्राप्तकर्ता को इसमें, इसके बाद अन्तर्विष्ट निबन्धनों तथा शर्तों पर उक्त राशि उधार देने के लिये सहमत हो गई है।

अब इसके द्वारा पक्षकारों के बीच इस बात की सहमति हो गई है कि सरकार द्वारा __________________ रूपये की राशि का भुगतान करने पर ऋणप्राप्तकर्ता की सरकार के साथ सहमति हो गई कि वह **(i)** सरकार को उक्त नियमों के अनुसार उक्त राशि संगणित ब्याज सहित की अदायगी अपने वेतन/प्रतिपूर्ति भत्ते/[टेलीफोन भत्ते/दैनिक भत्ते/यात्रा भत्ते/निर्वाचन क्षेत्र भत्ते/कार्यालय भत्ते] में से मासिक कटौतियों द्वारा, जैसाकि उक्त नियमों में उपबन्ध है, करेगा और इसके द्वारा सरकार को ऐसी कटौतियां करने के लिये प्राधिकृत करता है **(ii)** अग्रिम राशि के वितरण की तिथि या बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई है, से एक मास के भीतर मोटर कार के क्रय के लिये उक्त अग्रिम ली गई समूची राशि या यदि भुगतान की गई वास्तविक राशि, प्रति संदाय किये जाने वाले ऋण से कम है, तो उसके बीच का अन्तर तुरन्त सरकार को देगा, **(iii)** ऋणप्राप्तकर्ता, उधार ली गई राशि के लिये प्रतिभूति के रूप में सरकार को उक्त मोटर कार को रेहन रखते हुए दस्तावेज निष्पादित करेगा, उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति में ब्याज देगा और सदस्य न रहने की स्थिति में बकाया शेष और ब्याज, उसे देय

(पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई भत्ता) और उसकी अन्य किसी परिसम्पत्ति से मासिक किस्तों [पांच सौ रूपये] में वसूल करने के लिये सरकार को प्राधिकृत करते हैं।

और अन्ततः इसके द्वारा इस बात के लिये सहमत हूँ और घोषणा करता हूँ कि यदि पेशगी की राशि के वितरण की तिथि से मोटर कार एक मास के अन्दर–2 क्रय नहीं की जाती और रेहन नहीं रखी जाती या यदि ऋणप्राप्तकर्ता इस अवधि में दिवालिया हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की समूची राशि और उस पर प्रोदभूत ब्याज तुरन्त देय और भुगतान योग्य बन जाता है।

इसके साक्ष्य में पक्षकारों ने ________ दिन ________ वर्ष में इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा ________________________ की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये

1. ____________
2. ____________

ऋणप्राप्तकर्ता के अनुसार,
पदनाम तथा पता

(सक्षियों के हस्ताक्षर तथा पता)

हस्ताक्षरित (नाम तथा पदनाम)

1. ________________

2. ________________

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

हरियाणा के राज्यपाल के लिये
तथा ओर से, की उपस्थिति में,
(अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम)

प्ररूप – X

(देखिए नियम 21)

बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्ड का प्ररूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री ______________________ (मोटर कार का स्वामी, जिसे इसमें, इसके बाद इस नीति की अनुसूची में 'बीमाकृत' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ने मोटर कार के कय के लिये मोटर कार अप्रदान के लिये प्रतिभूति के रूप में हरियाणा के राज्यपाल (जिसे इसमें इसके बाद 'सरकार' निर्दिष्ट किया गया है) को मोटर कार रेहन रखी है तथा आगे यह घोषित किया जाता है और सहमति दी जाती है कि सरकार की ऐसी किसी राशि में हितबद्ध है जो इस पृष्ठांकन के लिये उक्त मोटर कार को हुई हानि या क्षति के सम्बन्ध में इस नीति के अधीन बीमा करवाने वाले को देय है (मोटर कार को हुई हानि या क्षति, जिसे मरम्मत, बहाली या प्रतिस्थापना द्वारा शोध्य न माना जाये) और ऐसी धनराशि तब तक सरकार को भुगतान की जायेगी, जब तक मोटर कार सरकार के पास रेहन है और उसकी रसीदें पूरी होंगी तथा ऐसी हानि या क्षति के सम्बन्ध में कम्पनी को उन्मोचन के लिये पूर्ण तथा अन्तिम होगी।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से सहमति के सिवाय इसकी कोई भी बात नीति या किसी निबन्धन, उपबन्ध या उसकी शर्त के अधीन या सम्बन्ध में कमशः बीमाकृत या कम्पनी के अधिकारों या दायित्वों को परिवर्तित या प्रभावित नहीं करेगी।

<u>प्ररूप – XI</u>

(देखिए नियम 22)

मोटर कार पेशगी के लिये रेहनामा

यह करारनामा ________________ के दिन दो हजार _______________ को श्री ___________________________ (जिसे इसमें, इसके बाद ऋणप्राप्तकर्ता कहा जायेगा, जिसकी अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक आर विधिक प्रतिनिधि शामिल है) एक पक्ष में होंगे और हरियाणा के राज्यपाल (जिसे, इसमें, इसके बाद सरकार कहा जायेगा, इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) दूसरे पक्ष में होंगे, के बीच निष्पादित किया गया।

चूंकि ऋणप्राप्तकर्ता ने हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) नियम, 1979, (जिसे इसमें, इसके बाद उक्त नियम निर्दिष्ट किया जायेगा) में विनिर्दिष्ट निबन्धनों पर मोटर कार की खरीद के लिये _____________रूपये की अग्रिम के लिय आवेदन पत्र दिया है और उसे यह अग्रिम राशि दी गई है।

और चूंकि जिन शर्तों पर ऋणप्राप्तकर्ता को उक्त अग्रिम राशि दी गई है, उनमें से एक यह है कि ऋणप्राप्तकर्ता को उसे पेशगी दी गई राशि के लिय प्रतिभूति के रूप में सरकार को उक्त मोटर कार रेहन रखनी चाहिये।

और चूंकि ऋणप्राप्तकर्ता ने मोटर कार पेशगी की उपर्युक्त राशि से अथवा अंशतः राशि से मोटर कार खरीदी है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट है।

अब यह करारनामा इस बात का गवाह है कि उक्त करारनामा के अनुसरण में और उपर्युक्त के विचारार्थ, ऋणप्राप्तकर्ता को इसके द्वारा उपर्युक्त राशि अथवा भुगतान न की गई बकाया राशि, प्रत्येक मास की प्रथम तिथि को समान अदायगी [छः सौ रूपये] द्वारा भुगतान करने की सुविधा है और वह इस समय देय शेष राशि और उक्त नियमों के अनुसार संगणित राशि पर ब्याज भी अदा करेगा और ऐसी अदायगी उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति में तथा आगे उक्त करारनामे के अनुसरण में उसके वेतन में से मासिक कटौतियों द्वारा वसूल की जा सकती है और ऋणप्राप्तकर्ता इसके द्वारा वह मोटर कार सरकार को समनुदेशित करता है, जिसका ब्यौरा, अग्रिम के लिये प्रतिभूति के रूप में लिखी गई अनुसूची में निर्दिष्ट है और उस पर ब्याज उक्त नियमों में अपेक्षित अनुसार होगा और ऋणप्राप्तकर्ता इसके द्वारा सहमत है और घोषणा करता है कि उसने उक्त मोटर कार का पूरा खरीद मूल्य अदा कर दिया है और कि वह उसकी सम्पर्णू सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और उक्त पेशगी के सम्बन्ध में जब तक कोई धनराशि सरकार को शेष देय रह जाती है, उक्त मोटर कार या उसके किसी भाग को बेचेगा नहीं अथवा गिरवी नहीं रखेगा, परन्तु इसके द्वारा सहमति दी जाती है या घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन अथवा ब्याज की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय होने के दस दिन के भीतर अदा नहीं की जायेगी या उपर्युक्त रीति से वसूल नहीं की जायेगी या यदि ऋणप्राप्तकर्ता की किसी समय पर मृत्यु हो जाती है या ऋणप्राप्तकर्ता उक्त मोटर कार या उसके किसी भाग को बेच देता है अथवा गिरवी रख देता है या वह दिवालिया हो जाता है या वह अपने ऋणप्राप्तकर्ताओं के साथ कोई संयोजन अथवा व्यवस्था

करेगा या यदि कोई व्यक्ति ऋणप्राप्तकर्ता के विरूद्ध कोई डिग्री या निर्णय के निष्पादन की कार्यवाही करेगा तो उक्त समूची मूलराशि, जो देय रहेगी और अदा नहीं की गई, उपर्युक्त अनुसार संगिणत ब्याज सहित देय हो जायेगी और इसके द्वारा सहमति दी जाती है और घोषणा की जाती है कि पूर्व वर्णित घटनाओं में से किसी एक के होने पर सरकार उक्त मोटर कार को जब्त कर सकती है और उसका कब्जा ले सकती है। और या तो उसे हटाये बिना उसका कब्जा रख सकती है या उसे हटा सकती है और सार्वजनिक नीलामी द्वारा या निजी संविदा द्वारा उक्त मोटर कार को बेच सकती है और बिक्री की धनराशि में से उक्त अग्रिम का अदा न किया गया बकाया और सभी प्रकार की लागत, प्रभारी तथा खर्चों पर पूर्व कथित अनुसार संगणित देय कोई ब्याज और इसके अधीन अधिकारों को बनाये रखने, उनकी रक्षा करने या अधिकारों के बारे अवगत करवाने में उपर्युक्त रूप से की गई अदायगी अपने पास रख सकती है और फालतू धनराशि, यदि कोई है, ऋणप्राप्तकर्ता, उसके निष्पादकों, प्रशासकों, या विधिक प्रतिनिधियों को अदा कर देगी, परन्तु यह और कि उक्त मोटर कार का कब्जा लेने या उसे बेचने का उपर्युक्त अधिकार सरकार को उक्त शेष देय राशि और ब्याज के लिये ऋणप्राप्तकर्ता या उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने के अधिकार के विपरीत नहीं होगा या यदि मोटर वाहन बेचे जाने की दशा में राशि, जिससे निवल बिक्री आगम कम है और ऋणप्राप्तकर्ता आगे इस बात के लिये सहमत है कि जब तक कोई राशि शेष है और सरकार को देय है तो ऋणप्राप्तकर्ता सुनिश्चित करेगा और महालेखाकार, हरियाणा द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी के पास आग द्वारा हानि, क्षति, चोरी या दुर्घटना के विरूद्ध उक्त मोटर कार का बीमा करवायेगा और महालेखाकार, हरियाणा की संतुष्टि तक प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि जिस मोटर बीमा कम्पनी के पास उक्त मोटर कार का बीमा करवाया गया है, को इस बात का नोटिस मिला है कि सरकार पॉलिसी में रूचि रखती है और ऋणप्राप्तकर्ता इसके द्वारा इस बात के लिये सहमत है कि वह उक्त मोटर कार को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त या नष्ट नहीं करेगा या होने देगा। मोटर कार को होने वाली यह क्षति सामान्य रूप से होने वाली टूट–फूट से अधिक नहीं होगा और इसके अतिरिक्त, उक्त मोटर कार को होने वाली क्षति अथवा दुर्घटना की स्थिति में ऋणप्राप्तकर्ता तुरन्त उसकी मरम्मत करवायेगा और उसे ठीक करवायेगा।

<u>अनुसूची</u>

मोटर का विवरण	______________________
निर्माता का नाम	______________________
विवरण	______________________
सिलैंडरों की संख्या	______________________
इंजन संख्या	______________________
चेसिज संख्या	______________________
लागत मूल्य	______________________

इसके साक्ष्य में पक्षकारों ने उपर्युक्तलिखित के अनुसार ______________ दिन _________ मास _________ वर्ष को हस्ताक्षर किये हैं।

ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गयेः–

1. ______________

2. __________________

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता **ऋणप्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, पदनाम और पता**

निम्नलिखित की उपस्थिति में राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से हस्ताक्षरित नाम और पदनाम

1. __________________

2. __________________

साक्षियों के हस्ताक्षर और पता **अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम**

ऋणप्राप्तकर्ता का नाम और पदनाम __________________

____

____

<u>प्ररूप – 34</u>

(नियम 6 देखें)

पंजीकरण के बाद किराया–खरीद/पट्टा/बंधक की आय की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन।

(दो प्रतियों में बनाया जाना है और दूसरी प्रति पंजीकरण प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि करने के साथ–साथ वित्तपोषक को लौटा दी जानी हैं)

सेवा में

पंजीकरण प्राधिकरण,

________________________.

पंजीकरण संख्या वाला मोटर वाहन ________________ पंजीकृत मालिक/स्वामी के रूप में पंजीकृत होने वाले व्यक्ति और के बीच किराया–खरीद/पट्टे/ दृष्टिबंधन ________________________ के एक समझौते का विषय है और ____.

(फाईनेंसर का नाम और पूरा पता)

हम अनुरोध करते हैं कि आपके कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र और संबंधित रिकार्ड में समझौते की प्रविष्टि की जाए।

शुल्क के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र सलंग्न है।

तिथिः– **पंजीकृत स्वामी के हस्ताक्षर**

तिथि :– **आधिकारिक मोहर और पते के साथ फाइनेंसर के हस्ताक्षर**

जो लागू न हो उसे काट दें।

<u>कार्यालय की स्वीकृति</u>

नंबर ______________ **दिनांक** ______________ **का कार्यालय** ____________________________

उपरोक्त अनुरोध के अनुसार किराया–खरीद/पट्टे/दृष्टिबंधन के समझौते की प्रविष्टि प्रपत्र 24 में कार्यालय पंजीकरण रिकार्ड में दर्ज है और पंजीकरण का प्रमाण पत्र ____________ ।

दिनांकः– ______________ पंजीकरण प्राधिरकरण के हस्ताक्षर

सेवा में

____

____

(फाईनेंसर का नाम और पता)
पंजीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के तहत दिया गया

प्ररूप – 35

[नियम 61 (1) देखें]

किराया–खरीद पट्टा दृष्टिबंधन के समझौते को समाप्त करने की सूचना

(दो प्रतियों में और तीन प्रतियों में जहां मूल पंजीकरण प्राकिारी अलग है, दूसरी प्रति और तीन प्रतियों में पंजीकरण प्राधिकारी के पृष्ठांकन के साथ फाइनेंसर और पंजीकरण प्राधिकारी को वापस किया जाना चाहिए, साथ ही प्रमाण पत्र में समाप्ति प्रविष्टि करने पर पंजीकरण और फार्म 24 में)

सेवा में

पंजीकरण प्राधिकरण,

______________________.

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे बीच हुआ किराया खरीद/पट्टा/दृष्टिबंधन का करार समाप्त कर दिया गया है। हम, इसलिए अनुरोध करते हैं कि हमारे बीच उक्त समझौते के संबंध में वाहन संख्या ______________ के पंजीकरण के प्रमाण–पत्र में अंकित नोट को रद्द कर दिया जाए।

शुल्क के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र सलंग्न है।

तिथि :– **पंजीकृत स्वामी के हस्तक्षर या अंगूठे का निशान**

तिथि :– **आधिकारिक मोहर और पते के साथ फाइनेंसर के हस्ताक्षर**

जो लागू न हो उसे काट दें।

कार्यालय की स्वीकृति

नंबर ____________ **दिनांक** ____________ **का कार्यालय** ________________________

उपरोक्त अनुरोध के अनुसार एक समझौते की प्रविष्टि को रद्द कर इस कार्यालय के पंजीकरण रिकार्ड में फार्म 24 और पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनांक __________ में दर्ज किया गया है।

____

दिनांकः– ____________ पंजीकरण प्राधिरकरण के हस्ताक्षर

सेवा में

____

____

(फाईनेंसर का नाम और पता)
पंजीकृत डाक द्वारा या उचित पावती के तहत दिया गया